प्रेस नोट
दिनांक 08.09.2025

कौड़िया पुलिस द्वारा उद्दापन करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्यॉं के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-208/25, धारा 61(2)a,308(5),127(2),352,351(3) बीएनएस से सम्बन्धित उद्दापन करने की घटना में लिप्त आरोपी अभियुक्त हीरालाल अवस्थी पुत्र राममूरत नि0 ग्राम गौनरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को आर्यनगर चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2025 को वादी श्याम सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह निवासी नगला अंगद जनपद कन्नौज द्वारा थाना कौड़िया में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी हीरालाल अवस्थी द्वारा वादी को फोन करके 30 टन 250 किलोग्राम आलू मंगवाया जिसे वादी इटावा से ट्रक में लादकर लाया, एवं विपक्षी द्वारा वादी को बंधक बनाते हुए उसे डरा धमकाकर ट्रक से आलू उतरवा लिया और घटना की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ । आज दिनांक 08.09.2025 को थाना कौड़िया पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान सूचना पर दोषी पाये गए आरोपी अभियुक्त- हीरालाल अवस्थी पुत्र राममूरत नि0 ग्राम गौनरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को आर्यनगर चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हीरालाल अवस्थी पुत्र राममूरत नि0 ग्राम गौनरिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-208/25, धारा 61(2)a,308(5),127(2),352,351(3) बीएनएस ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अरुण द्विवेदी मय हमराह
02. हेड का0 दयाशंकर ।
03. का0 सत्येन्द्र कुमार यादव ।
04. का० लवकुश मौर्या ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.09.2025
जनपद गोण्डा।

थाना कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय में पंजीकृत मु0अ0सं0-201/25, धारा 109(1),131 बीएनएस व बढोत्तरी धारा 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित नामजद आरोपी अभियुक्त इसरत अली उर्फ इसरार पुत्र तजम्मुल हुसैन को राजगढ अमीन गाव के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.09.2025 को वादी श्री अजमत अली पुत्र वली मोहम्मद नि0 नारायनपुर कला जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटरा बाजार में तहरीर दी गयी कि उसके लड़के नौशाद अली ने गांव के ही पास आटा चक्की का कारखाना लगा रखा है, दिनांक 04.09.2025 को नौशाद अपना कारखाना बन्द करके घर आ रहा था कि रास्ते में गांव के ही इशरत अली पुत्र तजम्मुल घात लगाकर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर दिया जिससे नौशाद के गले, सिर व शरीर के कई हिस्सों में चाकू लगने से गंभीर चोटें आई। वादी की तहरीर पर थाना कटरा बाजार में सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 08.09.2025 को विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाए गए नामजद आरोपी अभियुक्त इसरत अली उर्फ इसरार पुत्र तजम्मुल हुसैन को राजगढ अमीन गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटरा बाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त -

01. इसरत अली उर्फ इसरार पुत्र तजम्मुल हुसैन निवासी नारायनपुर कला थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 201/25, धारा 109(1),131 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 पवन कुमार सिंह
2. का० मनोज कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 08.09.2025

थाना को0नगर पुलिस द्वारा 01 चोर को किया गया गिरफ्तार, 01 अदद एक्जॉस्ट फैन बरामद -

कार्यवाही-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 702/2025 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त आलोक मिश्रा पुत्र अयोध्या प्रसाद मिश्रा नि0 बभनी कानूनगो थाना को० नगर गोण्डा गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी सुनील कुमार पुत्र गिरिजेश यादव निवासी लगडाबर पो० जिवधरा थाना बखिरा जनपद सन्त कबीर, जो कि पं0 जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम गोण्डा में कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं के द्वारा थाना को0नगर में लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 8.9.2025 को रात करीब 02.00 बजे स्टेडियम के एक कमरे से अभियुक्त आलोक मिश्रा द्वारा लोहे का इक्जॉस्ट फैंन चोरी करने का प्रयास किया गया, कमरे में मौजूद लेबर जो से रहे थे आहट होने पर उठे तो दौड़कर उसे पकड़ लिया गया। सूचना पर यूपी 112 पीआरवी 5112 के कर्मियों आरक्षी दयानन्द व हो0गा0 चालक हरगेविन्द सिंह द्वारा अभियुक्त को हिरासत में लेकर थाने पर लाया गया। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0नगर में मु0अ0सं0 702/2025 धारा 305(a)/317(2) बीएनएस पंजीकृत हुआ। थाना परसपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त आलोक मिश्रा पुत्र अयोध्या प्रसाद मिश्रा नि0 बभनी कानूनगो थाना को० नगर गोण्डा को गिरफ्तार कर इक्जॉस्ट फैन को कब्जे में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-
01. आलोक मिश्रा पुत्र अयोध्या प्रसाद मिश्रा नि0 बभनी कानूनगो थाना को० नगर गोण्डा उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी-
01. 01 अदद एक्जॉस्ट फैन

गिरफ्तारकर्ता टीम-
01. उ0नि0 श्री राहुल प्रकाश थाना को0नगर
02. कां0 दयाशंकर PRV5112
03. हो0गा0 चालक हरगोविन्द सिंह PRV5112

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक: 08.09.2025

कौड़िया पुलिस द्वारा रंगदारी वसूली करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार

कार्यवाही :

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दावाच्याँ के नेतृत्व में थाना कौड़िया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या–208/25, धारा 61(2)(a), 308(5), 127(2), 352, 351(3) बीएनएस से संबंधित रंगदारी वसूली की घटना में वांछित अभियुक्त हीरालाल अवस्थी पुत्र राममूरत निवासी ग्राम गौनरिया, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा को आर्यनगर चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 07.09.2025 को वादी श्याम सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह निवासी नगला अंगद, जनपद कन्नौज द्वारा थाना कौड़िया पर दी गई लिखित तहरीर में आरोप लगाया गया कि विपक्षी हीरालाल अवस्थी ने वादी को फोन कर 30 टन 250 किलोग्राम आलू मंगवाया, जिसे वादी द्वारा इटावा से ट्रक में लादकर लाया गया। विपक्षी ने वादी को बंधक बनाकर धमकी दी तथा ट्रक से आलू उतरवा लिया। साथ ही, शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। वादी की तहरीर पर थाना कौड़िया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान आज दिनांक 08.09.2025 अभियुक्त के विरूद्ध थाना कौड़िया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त :

1. हीरालाल अवस्थी पुत्र राममूरत निवासी ग्राम गौनरिया, थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग :

1. मुकदमा अपराध संख्या–208/25, धारा 61(2)(a), 308(5), 127(2), 352, 351(3) बीएनएस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1. उपनिरीक्षक अरुण द्विवेदी मय हमराह
2. हेड कांस्टेबल दयाशंकर
3. कांस्टेबल सत्येन्द्र कुमार यादव
4. कांस्टेबल लवकुश मौर्या

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 08.09.2025
मिशन शक्ति अभियान 5.0

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत जनपद के समस्त थानों में नियुक्त महिला बीट अधिकारियों द्वारा गांवों में चौपाल लगाकर बालिकाओं/महिलाओं की समस्याओं का किया जा रहा निस्तारण-

महिलाओं को विभिन्न उपयोगी हेल्पलाइन नम्बरों, संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में किया गया जागरूक-

महिलाएं/बालिकाएं/बेटियां हो स्वावलंबी, उनकी हो सुरक्षा, हो उनका सम्मान, शासन की है महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति अभियान-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र के अन्तर्गत थानों पर गठित एण्टीरोमियो टीम व बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांवो में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला सम्बन्धित समस्याओं के निस्तारण कराने के सम्बन्ध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन आदि अधिकारो के प्रति महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। अब महिलाओं/बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार-बार नहीं आना पडेगा अपितु शक्ति दीदी नियमित अन्तराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गांवो में उपस्थित होकर महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर निराकरण कराया जाएगा।

आज दिनांक 08.09.2025 को जनपद के समस्त थानों की महिला बीट अधिकारीगण (शक्ति दीदी) द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमण कर मनचलों/शोहदों को रेड कार्ड दिया गया तथा महिलाओं और बालिकाओं से फीडबैक फार्म भरवाकर महिलाओं/बालिकाओं को नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया गया तथा बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से गुडटच - बैडटच की जानकारी दी गई। बच्चों को पढ़ने तथा स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया तथा बच्चों से स्कूल जाने पर रास्ते में किसी प्रकार की समस्या होने के बारे में पूछा गया थाना फीडबैक फार्म को भरवाया गया। बच्चों को बताया गया कि किसी अनजान व्यक्ति के बुलाने या बहकावे में न आए न ही कोई खाने पीने की वस्तु ले तथा बच्चों को चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर-1098 के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया तथा महिलाओं एवम बालिकाओं/बच्चों के प्रति हो रहे अपराधो जैसे छेड़छाड़/शोषण, बाल अपराध, एसिड अटैक, सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पीड़न इत्यादि की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा संबंधी हेल्पलाइन नंबरों- 1090,181,102, 108,1076, 1098,1930 साइबर अपराध के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।